नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांकः– एफ–6( )उपा.राज.(सा.प्र.)/ला.शाखा/जननि/2025/ 701 दिनांकः– 14-11-2025

सार्वजनिक विज्ञप्ति
(पार्किंग स्थलों ई–नीलामी)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में दुपहिया एवं चौपहिया वाहनो हेतु सारणी अनुसार निम्नांकित पेड पार्किंग स्थलों की ई–नीलामी निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	ई–नीलामी का विवरण	निर्देश बिन्दु
1.	1.गाँधी नगर रेलवे स्टेशन के बाहर की पार्किंग	1. न्यूनत्तम नीलामी/प्रारम्भिक बोली 10,39,888 /–रू. प्रतिवर्ष
	2.अपेक्स मॉल टोंक रोड़ के दो तरफ पूर्व व उत्तर दिशा की पार्किंग	2. न्यूनत्तम नीलामी/प्रारम्भिक बोली 7,80,568/–रू. प्रतिवर्ष
2.	ई–नीलामी भागीदारी शुल्क	5,000/– रूपये अप्रतिदेय (Non Refundable)
3.	ई–नीलागी अगानता राशि	न्यूनत्तग नीलागी/प्रारग्भिक बोली का 10 प्रतिशत (प्रत्येक पार्किंग स्थल हेतु अलग–अलग निगम कोष मे ऑनलाईन जमा करवाना होगा।)
4.	ई–नीलामी अमानता राशि एवं भागीदारी शुल्क जमा कराने की दिनांक	दिनांक 18.11.2025 से दिनांक 02.12.2025 की रात्रि 12.00 बजे तक
5.	ई–नीलामी बोली प्रारम्भ करने एवं समाप्ति की दिनांक	दिनांक 03.12.2025 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक या शर्त संख्या (3) अनुसार समय वृद्धि होने तक

ई–नीलामी के सामान्य निर्देश बिन्दुः–

1. इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुल्क रूपये 1,000/– एवं जी. एस.टी. जमा करवाकर पंजीयन करवा सकते हैं।
2. इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी की शर्तों का अवलोकन ऑनलाईन या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कमरा नम्बर 123 में कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी कार्यक्रम में अमानता राशि, भागीदारी राशि, ई–नीलामी बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी ई–नीलामी वेब साईट WWW.JAIPURMC.ORG पर देख सकते हैं।
4. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या/जानकारी के लिए निगम के अधिकारी श्री वैभव कुमार, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर से कार्यालय समय में दूरभाष नं. 0141–2740140 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. इच्छुक बोलीदाता को अन्य आवश्यक वांछनीय दस्तावेजों की एकल पी.डी.एफ. अपलोड करना अनिवार्य हैं।

उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सहायक, प्रशासक, नगर निगम जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति का दो प्रमुख राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने सुनिश्चित करें।
5. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति को नगर निगम जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व (प्रथम)
नगर निगम जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.11.14 20:28:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18853027

Created by Universal Document Converter

नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांकः– एफ–6( )उपा.राज.(सा.प्र.)/ला.शाखा/जननि/2025/ 702 दिनांकः– 14-11-2025

निम्नांकित पैड पार्किंग स्थल की नीलामी शर्ते

नगर निगम जयपुर द्वारा क्षेत्राधिकार में स्थित निम्नांकित पार्किंग स्थलों को ई–नीलामी द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर दिये जावेंगे। उक्त ई–नीलामी की शर्ते निम्नानुसार है: –

क्र.सं.	पार्किंग स्थल का नाम
1.	गॉधी नगर रेलवे स्टेशन के बाहर की पार्किंग
2.	अपेक्स मॉल टोंक रोड़ के दो तरफ पूर्व व उत्तर दिशा की पार्किंग

1. उक्त पार्किंग स्थलों की ई–नीलामी में ऐसे इच्छुक व्यक्ति/फर्म ही भाग ले सकेगें जो ठेके की निर्धारित प्रारम्भिक बोली राशि का 10 प्रतिशत अमानता राशि के रूप में ऑन–लाईन जमा करवाना सुनिश्चित करेंगें।
2. नगर निगम जयपुर में पार्किंग संचालन संबंधित नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता/मापदंड निम्नानुसार है:–
   - संवेदक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने पर ही संविदा में भाग ले सकेगा।
   - नियमानुसार जीएसटी एवं अन्य राजकीय कर लागू होगे जो कि निविदा राशि/बोली राशि के अलावा लागू होंगें तथा निविदादाता को ही संबन्धित विभाग में जमा करवाकर रसीद निगम को लाइसेंस जारी होने के 30 दिवस में पेश करना होगा। इसके उपरान्त ही स्थायी लाईसेंस की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा। इसके अभाव में ठेका निरस्त समझा जायेगा।
   - संवेदक फर्म का टर्नओवर (गत एक वर्ष का) पार्किंग की अनुमानित राशि का कम से कम 1/3 होना चाहिए।
   - फर्म का श्रम विभाग में शॉप एक्ट 1958 में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण का प्रमाण पत्र/दस्तावेज ई–ऑक्शन में भागीदारी के समय सलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - संवेदक को वित्तीय वर्ष का IT/GST टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   - बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति /फर्म को अमानता राशि के साथ साथ बोलीदाता के राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/आयकर का पेनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
   - श्रम विभाग के आदेशों की पालना में पार्किग संचालक द्वारा नियोजित ESI/PF पंजीयन व गत पॉच वर्षो के जमा का चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   - बोलीदाता कभी भी किसी भी संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नही किया हुआ होना चाहिए इस आशय का शपथ पत्र 500/–रू.के स्टेम्प पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. ई–नीलामी के अंतिम 5 मिनिट में कोई बोली आने पर ई–नीलामी समय अवधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनिट की वृद्धि हो जायेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि ठेका अवधि तक निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 ठेका राशि जमा करा देने पर लौटा दी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/4 राशि नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद 24 घण्टे में डीडी अथवा ऑन–लाईन प्रकिया द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानता राशि जप्त समझी जावेगी। साथ ही RTPP अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार [illegible] कर दिया जावेगा। इसके पश्चात उच्चतम बोलीदाता के द्वारा दी गई बोली राशि का काउंटर ऑफर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को दिया जावेगा। काउंटर ऑफर द्वितीय बोलीदाता के स्वीकार करने

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.11.14 20:28:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18853011

Created by Universal Document Converter

की स्थिति में 1/4 राशि साथ ही जमा करानी होगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1/4 राशि जमा नहीं कराने पर ठेके की पुनः नीलामी की जावेगी।

6. उक्त पार्किंग स्थलों का ठेका दो वर्ष की अवधि के लिये होगा। दो वर्ष पश्चात संवेदक का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नगर निगम व संवेदक की आपसी सहमति से इस ठेके को सफल बोली राशि में 15 प्रतिशत बढ़ाकर एक वर्ष अतिरिक्त के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु संवेदक को द्वितीय वर्ष समाप्ति से 3 माह पूर्व आवेदन करना होगा।

7. उच्चत्तम बोलीदाता को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी :–

(क) संवेदक को उच्चतम बोली राशि की 1/4 राशि नीलामी की समाप्ति के 24 घण्टे (कार्य दिवस) के भीतर निगम कोष में डी.डी/बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी एवं इस 1/4 राशि के जमा होने के पश्चात् सक्षम स्तर से ई–नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त संवेदक को स्वीकृति पत्र जारी किया जावेंगा। जिस स्वीकृति पत्र में शेष 3/4 राशि जमा कराने की समयावधि वर्णित होगी।

(ख) स्वीकृति पत्र में वर्णित शेष 3/4 राशि इस प्रकार जमा करानी होगीः–

- संवेदक को स्वीकृत नीलामी बोली राशि की 1/4 राशि 10 दिवस में जमा करानी होगी अर्थात् संवेदक द्वारा स्वीकृति बोली राशि की 1/4 + 1/4 राशि (50 प्रतिशत राशि) निगम में जमा कराए जाने के पश्चात् निगम द्वारा संवेदक को छः माह का अस्थायी लाईसेन्स जारी किया जाएगा।
- स्वीकृत बोली राशि की शेष 1/2 राशि (50%राशि) संवेदक को अस्थायी लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से पाँच माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी होगी। यदि संवेदक द्वारा 1/2 राशि अस्थायी लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से पाँच माह के भीतर निगम कोष में जमा नहीं कराई जाती है तो निगम द्वारा संवेदक की समस्त जमा राशि जप्त करते हुए संवेदक को ब्लैक लिस्ट कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं निगम द्वारा संबंधित पार्किंग स्थल का पुनः पाँचवें माह के अन्त में ई–ऑक्शन कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक फर्म की होगी।

(ग) ठेकेदार द्वारा नीलामी में भाग लिया जाता है तो उसके द्वारा सभी नियम व शर्तो का अध्ययन किया गया है, स्वतः ही समझा जावेगा। जिनकी पालना उनके द्वारा किया जाना आवश्यक है।

8. ठेका स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प (ठेकेदार के खर्चे पर) पेपर पर ठेके की शर्तो अनुसार नियमानुसार जोन उपायुक्त/उपायुक्त राजस्व को अनुंबध पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर करवाने होगे।

9. यदि आपसी सहमति से ठेके का अगले एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है तो उस एक वर्ष की ठेका राशि भी दो समान किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त प्रथम एक वर्ष की ठेका अवधि समाप्ति से 30 दिवस पूर्व जमा करानी होगी, एवं द्वितीय किश्त पूर्व में चल रहे ठेका समाप्ति की तारिख से 60 दिवस में जमा करानी होगी। इस एक वर्ष में भी दोनों किश्तों की राशि नगर निगम खाते में क्रेडिट होने के पश्चात स्थायी लाईसेंस पूर्व में चल रहे ठेके की समाप्ति के अगले दिवस से एक वर्ष के लिए जारी किया जायेगा। निर्धारित समय पर सम्पूर्ण ठेका राशि निगम कोष में जमा नहीं कराने पर ठेका स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा ठेकेदार की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

10. पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने वाले वाहन धारकों से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क वसूल किया जावेगा।

समय	साईकिल	मोटर साईकिल/स्कूटर	चौपहिया वाहन
प्रथम तीन घण्टे	5	20	40
3 से 12 घण्टे	5	30	60
मासिक पास	150	1200	2000

12 घण्टे पश्चात् संवेदक स्वयं के व्यय तथा स्वयं के संसाधनों से वाहनों को पार्किंग स्थलों से हटाने हेतु व्यवस्था करेगा तथा इस शर्त का उल्लेख सहज रूप से दृश्य सार्वजनिक स्थान पर बोर्ड लगाकर करना होगा।

11. समय–समय पर राज्य सरकार/यातायात पुलिस विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

12. लाईसेन्सधारी ठेकेदार वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही (फुटपाथ की भूमि को छोड़कर) खड़ा कर सकेगा। निर्धारित स्थल के बाहर वाहन खड़ा करने पर प्रति वाहन 300/– रू. की दर से शास्ति ठेकेदार पर लगाई जावेगी। इसके अतिरिक्त [illegible] भूमि पर वाहन पार्क करवाते हुये पाया जाता है तो निविदाकार पर प्रतिवाहन 500/– [illegible] की दर से जुर्माना अध्यारोपित करने का अधिकार नगर निगम को होगा।

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.11.14 20:28:42 IST
Reason: Approved

Created by Universal Document Converter

13. जिस पार्किंग स्थल पर जो वाहन खड़ा करने का ठेका लिया है उसके अलावा अन्य प्रकार का वाहन खड़ा करना पाया गया तो 300/-रू प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ति ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

14. प्रत्येक वाहन के तीन टॉकन होगे। एक वाहन स्वामी को दिया जावेगा, दूसरा टोकन ठेकेदार/कर्मचारी के पास रहेगा तथा तीसरा टोकन नगर निगम राजस्व प्रथम शाखा में संबंधित जोन द्वारा संग्रहरण कर जमा कराना होगा। टॉकन पर वाहन संख्या एवं पार्किंग का समय अंकित करना होगा। जिससे वाहन बदलने की संभावना नहीं रहे। पार्किंग स्टेण्ड पर वाहन की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। स्टेण्ड पर रखा वाहन खो जाने अथवा किसी प्रकार की हानि होने पर वाहन धारक को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। नगर निगम जयपुर किसी भी प्रकार की हानि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

15. पार्किंग स्थलों के निर्धारित राशि संबंधित टोकन बुक नगर निगम जयपुर की स्टोर शाखा द्वारा प्रिंट करवाये जाकर संबंधित जोन कार्यालयों में प्रेषित करवाये जावेंगें जिन्हें जोन स्तर पर ही ठेकेदार/संवेदक को टोकन बुक उपलब्ध करवाई जावेगी। जो कि संबंधित जोन के राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित होगी। इसके अतिरिक्त अन्य टोकन अवैध/अमान्य होंगें। यदि ठेकेदार/संवेदक द्वारा नगर निगम द्वारा जारी कूपन/टिकट के अतिरिक्त अवैध या अमान्य कूपन या टिकिट जारी किए जाते है तो संबंधित जोन द्वारा संवेदक के विरूद्ध प्रथम बार में 10,000/-रूपये, द्वितीय बार में 25,000/- रूपयें की शास्ति वसूल की जाएगी एवं तृतीय बार में संवेदक की समस्त जमा राशि जप्त करते हुए तथा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेंगा। ठेका निरस्त करने का प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जावेगा।

16. यदि ठेकेदार इलेक्ट्रोनिक मशीन (Hand Terminal) के द्वारा टोकन निकाल कर देता है तो इस मशीन में दर, वाहन खड़ा करने का समय, वाहन वापस जाने का समय आदि दर्ज करना होगाा। मशीन की जांच कभी भी नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा सकेगी। इसका समस्त डेटा प्रत्येक माह में निगम के साथ साझा करना अनिवार्य होगा।

17. वाहन स्वामी द्वारा टोकन खो देने पर वाहन के स्वामी को वाहन की खरीद आदि के सबूत ठेकेदार को प्रस्तुत करने होगे। ठेकेदार द्वारा पूर्ण जाचं करने के बाद ही वाहन लौटाया जावेगा। इसमें नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा इसके लिए सम्पर्ण दायित्व संवेदक का होगा।

18. पार्किंग स्थल पर निगम द्वारा पार्किंग स्थल की सूचना लगाई जावेंगी। पार्किंग स्थल की सूचना कम से कम 6 × 8 साईज मे धरातल (भूमि) से 8 फीट ऊँचे चार (विशेषकर प्रवेश एवं निकासी पर) बोर्ड जिन पर पार्किंग स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम/पता, स्वीकृति संख्या, मोबाइल नं., जोन कार्यालय का नाम एवं ठेकेदार को पार्किंग की दरें पठनीय रूप से उक्त बोर्ड पर लिखकर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर इसे ठेके की शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। तथा वाहन धारक के चाहने पर ठेके की शर्तो की छायाप्रति का अवलोकन किया जा सकेगा।

19. यदि ठेकेदार निगम द्वारा लगाये गये बोर्ड पर दर्शायी गई दरों को भंग करता है अथवा उन दरों को मिटाकर गलत दर वसूल करते हुए पाये जाने पर अथवा बोर्ड से किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ किये जाने पर संवेदक से प्रत्येक मामले में प्रथम बार में 10,000/-रूपये, द्वितीय बार में 25,000/- रूपयें की शास्ति वसूल की जाएगी एवं तृतीय बार में संवेदक की समस्त जमा राशि जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेंगा। शास्ति वसूली जायेगी।

20. पार्किंग ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर पार्किंग स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को ब्ल्यू कलर की टी-शर्ट (यूनिफार्म) पहनकर रखना अनिवार्य होगा। टी-शर्ट पर नगर निगम जयपुर का लॉगो प्रिन्ट होना अनिवार्य रहेगा।

21. पार्किंग ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों के नाम, मोबाईल नं. व आधार कार्ड की प्रति की सूची नगर निगम में उपलब्ध करवानी होगी। जिसके पश्चात् नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उक्त कार्यरत कर्मचारियों के आईडी कार्ड जारी करेगा तथा पार्किंग स्थल पर कार्यरत संवेदक के कर्मचारियों के पास पार्किंग स्थलों की पर्ची काटते समय अनिवार्य रूप से आईडी कार्ड रखना होगा। जिन कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड नहीं होगा वह पार्किंग स्थल पर कार्य नहीं कर सकता और यदि बिना आईडी कार्ड के पार्किंग स्थल पर कोई भी कर्मचारी प्राप्त होता है तो प्रथम बार में 10,000/-रूपये प्रति कर्मचारी, द्वितीय बार में 25,000/- रूपयें प्रति कर्मचारी की शास्ति वसूल की जाएगी एवं तृतीय बार में संवेदक की समस्त जमा राशि जप्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जावेंगा।

22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई राशि वसूली नहीं कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक वसूली की सत्य शिकायत पर स्वीकृत बोली राशि के अनुसार अर्थदण्ड निम्नानुसार लगाया जावेगा। जिसमें प्रथम बार स्वीकृत बोली राशि का 0.5% द्वितीय बार 0.5% व तृतीय बार 1% तथा चतुर्थ बार शिकायत प्राप्त होने पर पुष्टि उपरान्त स्वीकृत ठेके की जमा समस्त राशि जप्त करते हुए स्वतः ही ठेका निरस्त समझा जावेगा तथा ठेकेदार फर्म/संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।

23. ठेकेदार के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही ठेका स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूल करेंगे जिनकी सूचना ठेका स्वीकृति के 7 दिवस में ठेकेदार द्वारा जयपुर नगर निगम को उपलब्ध करवाई जावेगी। ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों को ठेका स्थल पर अपने [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.11.14 20:28:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18853011

Created by Universal Document Converter

नही करने पर ठेका शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा। पहचान कार्ड का खर्चा ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा।

24. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त समझा जावेगा।
25. ठेकेदार पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करवा सकेगा। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे ठेकेदार के खर्चे से तुरन्त हटाया जावेगा एवं ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
26. ठेका अवधि में नगर निगम द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में पार्किंग स्थल खाली करवाया जा सकता है। इसमें ठेकेदार का किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा ठेकेदार को ठेके की शेष रही अवधि की अनुपातिक राशि लौटाई जावेगी।
27. यदि निगम को ठेकेदार के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्त्व उत्पन्न होता है तो ठेकेदार इसके लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
28. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर नियमानुसार निविदा राशि के अतिरिक्त संबन्धित विभाग में संवेदक द्वारा जमा कराने होगे। यह कर राशि बोली राशि के अतिरिक्त होगी तथा इसे संम्बन्धित विभाग में जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
29. नीलामी प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं तत्संबंधी नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा वित्त (G&T) विभाग के प्रावधान लागू होंगे।
30. जिन पार्किंग स्थलों की न्यूनतम बोली राशि 10 लाख रूपयें से अधिक है उन पार्किंग स्थलों की नीलामी में भाग लेने वाली फर्मो में से सफल बोलीदाता फर्म को सफल बोली राशि की 5% राशि की बैंक गारण्टी एव 5% धरोहर राशि द्वितीय 1/4 राशि के साथ निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
31. जिन पार्किंग स्थलों की न्यूनतम बोली राशि 10 लाख रूपयें से अधिक है उन पार्किंग स्थलों की नीलागी गें भाग लेने वाली फर्गो के पारा पार्किंग स्थल के साफल सांचालन सांबंधी एक वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। जिसे फर्म को ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु संलग्न कराए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
32. जिन फर्मों द्वारा पार्किंग स्थलों की उपरोक्त शर्तों के किसी भी बिन्दु पर उल्लंघन किया जाता है तो निगम द्वारा उस फर्म की समस्त जमा राशि जप्त करते हुए फर्म को निगम के आगामी किसी भी ई–ऑक्शन में भाग नहीं लेने हेतु ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार निगम को होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक फर्म की होगी।
33. पार्किंग स्थल के संचालन में 10 प्रतिशत कर्मचारी नगर निगम के स्वयं सहायता समूह की इच्छुक महिलाऐं होंगी। जो प्रातः 10 बजे से सायं 6:00 बजे तक पार्किंग स्थल पर कार्य करेंगी।
34. ठेका शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
35. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो समस्त पक्षों को मान्य होगा।
36. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
37. उपरोक्त संदर्भ में किसी शर्त/प्रावधान के विरूद्ध अपील RTPP Act 2012 व Rules 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

उपायुक्त (राजस्व प्रथम)
नगर निगम जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.11.14 20:28:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18853011

Created by Universal Document Converter